

(TO BE PUBLISHED IN PART -IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(1)/LA-2013/cons2law/109

Dated 24 the September, 2013

NOTIFICATION

NO. F.14(1)/LA-2013/cons2law/109 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 19<sup>th</sup> September, 2013 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) ACT, 2013  
(DELHI ACT 08 OF 2013)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 29<sup>th</sup> August, 2013)

[19<sup>th</sup> September, 2013]

An Act to amend the Delhi Urban Shelter Board Act, 2010

BE it enacted in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi

In the Sixty fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the Delhi Urban Shelter Improvement Board (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette appoint.


2. **Amendment of section 3.** - In the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010, section 3, in sub-section (4),

(a) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) one Member each from North Municipal Corporation of Delhi, South Municipal Corporation of Delhi and East Municipal Corporation of Delhi to be nominated by the respective Mayor.";

(b) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:-

"(vi) the Director of Local Bodies, Government of National Capital Territory of Delhi, ex officio.".

  
(DR. SAURABH KULSHRESHTHA)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)  
आठवॉ तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(1)/एलए-2013/cons2law/109

दिनांक 24 सितंबर, 2013

अधिसूचना

सं० फा० 14(1)/एलए-2013/cons2law/109 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 19 सितंबर, 2013 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

"दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013  
(2013 का दिल्ली अधिनियम 08)

(29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[19 सितंबर, 2013]

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** .- (1) यह अधिनियम दिल्ली शहरी आश्रय (सेक्टर) सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 कहा जायेगा।
- (2) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में नियत अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।
2. **धारा 3 का संशोधन** :- दिल्ली शहरी आश्रय (सेक्टर) सुधार बोर्ड विधेयक, 2010 की धारा 3 की उपधारा (4) में,
  - (क) **खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-**  
“(iv) उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम एवं पूर्व दिल्ली नगर निगम प्रत्येक में से एक सदस्य संबंधित मेयर द्वारा नामित किया जायेगा।”;
  - (ख) **खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-**  
“(vi) निदेशक, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पदेन।”

(डा. सौरभ कुलश्रेष्ठ)  
अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)